

अपर उपायुक्त का न्यायालय, पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।

K.T.S No.- 08/2009-10

मिटू गोप एवं अन्य।

बनाम

उदय पुरती।


आदेश


यह वाद दिनांक- 17.07.2009 को वादी मिटू गोप, पिता- भाईगो गोप, निवासी ग्राम- खेड़ियाटांगर, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम एवं 07 अन्य के द्वारा दायर वाद पत्र के Schedule "B" में वर्णित भूमि का Declaration of the right, title and interests के लिए प्रतिवादी उदय पुरती, पिता- स्व० रामय पुरती, निवासी ग्राम- खेड़ियाटांगर, थाना- मंझारी, जिला- पश्चिमी सिंहभूम के विरुद्ध Kolhan Title Suit दाखिल किया गया है। इस वाद में दिनांक 31.08.2017 से उभय पक्ष स्वयं या उनके अधिवक्ता के द्वारा पैरवी नहीं की जा रही है। इससे प्रतीत होता है कि उभय पक्ष या उनके अधिवक्ता को वाद भूमि में कोई अभिरुचि नहीं है।

अतः उक्त परिस्थिति में उभय पक्ष को वाद भूमि में अभिरुचि नहीं रहने के कारण इस वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

असंतुष्ट पक्ष के द्वारा अपर न्यायालय में अपील दाखिल किया जा सकता है।

लेखापित एवं संशोधित।


27.04.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।


27.04.23
अपर उपायुक्त,
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा।